



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार-249404

पत्रांक:: 147/06/E-3/APS/DR/2022-23

दिनांक:: 12 दिसम्बर, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A-1/E-3/DR(APS)/2024, दिनांक 18 जुलाई, 2024 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 के सापेक्ष अभ्यर्थी श्री लक्ष्मी प्रसाद, श्री अमित कुमार पटेल, श्री अमन कुमार विश्नोई, श्री पुष्कर सिंह, दीपिका भौत, प्रीति रानी, श्री गौरव कुमार, श्री सौरभ कुमार, रचना काण्डपाल, शमा परवीन, श्री गणेश शंकर एवं श्री विनोद सिंह रावत द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध पर मा0 आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-03 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है :-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	कार्यालय टीप
01.	लक्ष्मी प्रसाद (अनुक्रमांक-104310)	
02.	अमित कुमार पटेल (अनुक्रमांक-104146)	
03.	अमन कुमार विश्नोई (अनुक्रमांक-106945)	
04.	पुष्कर सिंह (अनुक्रमांक-103122)	
05.	दीपिका भौत (अनुक्रमांक-104277)	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। मा0 आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुए आपकी अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 के प्रथम चरण की परीक्षा के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की परीक्षा तिथि को परिवर्तित कर परीक्षा कार्यक्रमानुसार दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को चतुर्थ सत्र (अपराह्न 03:00 बजे) में नियत करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
06.	प्रीति रानी (अनुक्रमांक-104709)	
07.	गौरव कुमार (अनुक्रमांक-104134)	
08.	सौरभ कुमार (अनुक्रमांक-104043)	
09.	रचना काण्डपाल (अनुक्रमांक-103559)	
10.	शमा परवीन (अनुक्रमांक-101520)	
11.	गणेश शंकर (अनुक्रमांक-103539)	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। आपके द्वारा परीक्षा तिथि परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में कोई विधिमान्य कारण प्रस्तुत न किये जाने के कारण मा0 आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
12.	विनोद सिंह रावत (अनुक्रमांक-108637)	आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। चूंकि अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 के प्रथम चरण की परीक्षा (हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण) हेतु लैब की क्षमता के अनुसार प्रत्येक दिन और प्रत्येक सत्र में अभ्यर्थियों की संख्या पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रमानुसार है। अतः किसी भी अभ्यर्थी की आयोग से पूर्व निर्धारित तिथि को टंकण परीक्षा के अन्तिम दिवस में तो

		परिवर्तित किया जा सकता है, परन्तु अन्तिम तिथि से पूर्व की किसी भी तिथि में परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। अतः मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए एवं आपकी टंकण परीक्षा की तिथि को पूर्व निर्धारित तिथि (17.12.2024) एवं मा0 आयोग के पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
--	--	---

उक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।